

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं० 36 /2021- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2021

का.आ. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 149 के तीसरे परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (3) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत प्रस्तुत बिल ऑफ एंट्री में निम्नलिखित संशोधन को विनिर्दिष्ट करता है, जिसे आयतकर्ता सामान्य पोर्टल पर कर सकता है:-

(i) बिल ऑफ एंट्री में बिल ऑफ लेडिंग के ब्योरे का सम्पूर्ण।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा० सं० 450/77/2021- सीमाशुल्क IV]

आ. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)

उप सचिव (सीमाशुल्क)